प्रेस नोट संख्या 29
दिनांक 18.03.2025
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस
थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा चोरी की 01 अदद ठेलिया, 01 अदद इन्वर्टर, 01 अदद बैटरी, 01 अदद गैस सिलेन्डर व चोरी के सिगरेट ,तम्बाकू आदि के पैकेटों के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18.03.2025 को उ0नि0 महेन्द्र सिंह थाना जगदीशपुर मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 74/25 धारा 331(4), 305(a) बीएनएस जगदीशपुर में नामजद अभियुक्त गौस मो0 उर्फ टीटू पुत्र हुक्कल निवासी हकीम मोहल्ला कस्बा निहालगढ़ थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष को समय करीब 02.10 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद ठेलिया, 03 डिब्बी कैप्टन सिगरेट पैक्ड, 04 डिब्बी छोटी गोल्ड सिगरेट पैक्ड, 02 डिब्बी क्लासिक सिगरेट पैक्ड, 01 डिब्बी बोरो सिगरेट पैक्ड, 01 डिब्बी तंबाकू तुलसी पैक्ड, 01 डिब्बी तंबाकू बाबा पैक्ड बरामद हुआ।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि उसने उक्त समान को दिनांक 11/12.02.2025 की रात में जी0जी0आई0सी0 गेट के निकट एक पान गुमटी से चोरी किया था एवं ठेलिया के बारे में बताया कि दिनांक 13/14.02.2025 की रात्रि में त्रिवेदी के गोदाम से चोरी किया था एवं चोरी का अन्य सामान अपने दोस्त रमेश यादव पुत्र ब्रजपाल यादव निवासी कस्बा निहालगढ़ थाना जगदीशपुर के घर में चोरी का सामान बताकर रखा है। चोरी के अन्य तंबाकू व सिगरेट के डिब्बी पीकर खत्म कर दिये है। अभियुक्त के निशानदेही से रमेश यादव उपरोक्त के घर से 01 अदद इन्वर्टर लुमिनस, 01 अदद एलपीजी गैस सिलेंडर कमर्शियल 19 kg, 01 अदद बैटरी के साथ अभियुक्त रमेश यादव पुत्र ब्रजपाल यादव निवासी कस्बा निहालगढ़ थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 38 वर्ष को समय करीब 03.40 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. गौस मो0 उर्फ टीटू पुत्र हुक्कल निवासी हकीम मोहल्ला कस्बा निहालगढ़ थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष।
2. रमेश यादव पुत्र ब्रजपाल यादव निवासी कस्बा निहालगढ़ थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 38 वर्ष।

बरामदगी-

1. 03 डिब्बी कैप्टन सिगरेट पैकड, 04 डिब्बी छोटी गोल्ड सिगरेट पैकड, 02 डिब्बी क्लासिक सिगरेट पैकड, 01 डिब्बी बोरो सिगरेट पैक्ड, 01 अदद पैकेट तंबाकू तुलसी पैक्ड, 01 अदद डिब्बी तंबाकू बाबा पैक्ड (मु0अ0सं0 48/25 से संबंधित)
2. 01 अदद ठेलिया, 01 अदद इन्वर्टर लुमिनस, 01 अदद एलपीजी गैस सिलेंडर एलपीजी कमर्शियल 19 kg, 01अदद बैटरी (मु0अ0सं0 74/25 से संबंधित)

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 48/25 धारा 305(a),317(2) बीएनएस जगदीशपुर जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 74/25 धारा 331(4), 305(a), 317(2) बीएनएस जगदीशपुर जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 महेन्द्र सिंह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 शिवबक्श सिंह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 संजीव कुमार सिंह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
4. उ0नि0 नन्दराम थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
5. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार मिश्रा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
6. हे0का0 अरुण वर्मा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
7. का0 रंजीत निषाद थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

अभियुक्त गौस मो0 उर्फ टीटू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 621/14 धारा 326 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 312/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
3. मु0अ0सं0 117/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।